संख्या-957/2017/2133/22-2-2017-17(594)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर, 2017**

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विश्वजीत उर्फ नन्हें पुत्र श्री सालिकराम वर्मा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-30218/प्रोबेशन-3(एम 22.06.2017) दिनांक 22.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 22.08.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी विश्वजीत उर्फ नन्हें पुत्र श्री सालिकराम वर्मा, ग्राम-नगरिया, थाना-मैलानी, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी ने जमीन बटवारे की रंजिश में दिनांक 19.08.2002 को समय लगभग 08.00 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपने पिता की लाइसेंसी बन्दूक मुनीश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-372/2003 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी, कोर्ट न0-5, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 31.03.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2016 द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.06.2017 तक 14 वर्ष 06 माह 02 दिन की अपरिहार तथा 17 वर्ष 06 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने जमीन बटवारे की रंजिश में दिनांक 19.08.2002 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपने पिता की लाइसेंसी बन्दूक मुनीश कुमार की गोली मार कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 38 वर्ष लगभग है तथा स्वास्थ्य की दशा सन्तोषजनक है। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विश्वजीत उर्फ नन्हें पुत्र श्री सालिकराम वर्मा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी विश्वजीत उर्फ नन्हें (बन्दी संख्या-44485) पुत्र श्री सालिकराम वर्मा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-957/2017/2133(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-लखीमपुर खीरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्र, कारागार विभाग को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-957/2017/2133@22-2-2017-17(594)/2017
दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी विश्वजीत उर्फ नन्हें (बन्दी संख्या-44485) पुत्र श्री सालिकराम वर्मा, निवासी ग्राम-नगरिया, थाना-मैलानी, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी ने जमीन बटवारे की रंजिश में दिनांक 19.08.2002 को समय लगभग 08.00 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपने पिता की लाइसेंसी बन्दूक मुनीश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-372/2003 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी, कोर्ट न0-5, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 31.03.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2016 द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.06.2017 तक 14 वर्ष 06 माह 02 दिन की अपरिहार तथा 17 वर्ष 06 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने जमीन बटवारे की रंजिश में दिनांक 19.08.2002 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपने पिता की लाइसेंसी बन्दूक मुनीश कुमार की गोली मार कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 38 वर्ष लगभग है तथा स्वास्थ्य की दशा सन्तोषजनक है। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विश्वजीत उर्फ नन्हें पुत्र श्री सालिकराम वर्मा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।